न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 52 / 2024 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगणः–

1.उमेदा 2.खीमाराम 3.निम्बाराम 4.मदन 5.हाथी पि.सागराराम 6.एलु पत्नि सागराराम 7.केशरा 8.धमना 9.पूनमा 10.सूरजन पि.मनु 11.कालू 12.जालु पि.मेहरा 13.खेमु 14गेमराराम 15.चौखाराम 16.भीखी 17.लीला 18.हरीराराम पि.महेश 19.जगदीश 20.दयालाराम 21.देवाराम 22.नगाराम पि.राणाराम 23.बाबली पत्नि राणाराम 24.लाधुराम 25.लिखमाराम पि.राणाराम 26.तामल पुत्र नरसा 27.पुरखाराम पुत्र मंगलाराम 28.पीरा पुत्र नरसा 29.भवरा पुत्र सामला 30.महेन्द्र पुत्र चेतन 31.मोहन पुत्र मंगला 32.वगता पुत्र नरसा, जाति मेगवाल, निवासी सिलोरों की बस्ती, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1.मोहम्मद मंजूर पुत्र आमद उर्फ अहमद
जति मुसलमान, निवासी सिलोरो की बस्ती,
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार धनाऊ

वकील प्रार्थीगण :– श्री जगदीश पोटलिया

वकील विप्रार्थीगण :– श्री पवन धारीवाल

निर्णय

दिनांक 10/6/25

प्रार्थीगण उमेदा पुत्र सागराराम, जाति मेघवाल, निवासी सिलोरों की बस्ती, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा सिलोरों की बस्ती (सांवा), तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खसरा नं. 11,, 546 / 11, 547 / 11 आया हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त खेत पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए विप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा सं. 10 से अपनी जोत तक सड़क तक आने जाने के लिए रास्ता चाहा गया है। काश्त के समय प्रार्थीगण की ओर व चारों ओर के काश्तकार भी अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा सं. 10 में से रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि नोटिस से तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी वकील की ओर से आवेदन का जवाब पेश किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना गया। वकील प्रार्थीगण की ओर से चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन के आधार पर एवं तहसीलदार की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	32.5529	बा.सो.	20 फीट	00.2104	सिलोरों की बस्ती	मोहम्मद मंजूर

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में विकल्प सं. 1 अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो [illegible] जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया [illegible] प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बुर्ज/टांका [illegible] हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संस्था[illegible]) [illegible] 2012 [illegible] स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति [illegible]शि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व. या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न नक्शा के विकल्प सं. 1 बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट मय नक्शा के विकल्प 1 के मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते [illegible] के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) [illegible] करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते [illegible] तथा [illegible] रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस [illegible] कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। [illegible] उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विपार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

7. प्रार्थीगण को दिये जाने वाले उक्त रास्ता में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता के खसरा पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। अतः निर्णय की पालना स्थगन आदेश के अधीन रहेगी ।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा परिशिष्ट के विकल्प सं. 1 में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 10/6/25 को दिया जाता है। अतः नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/05/2025 12:17:08 PM

तहसील : धनाऊ

भू. अ. नि. क्षेत्र : बुरहान का तला

ग्राम : सीलोरो की बस्ती

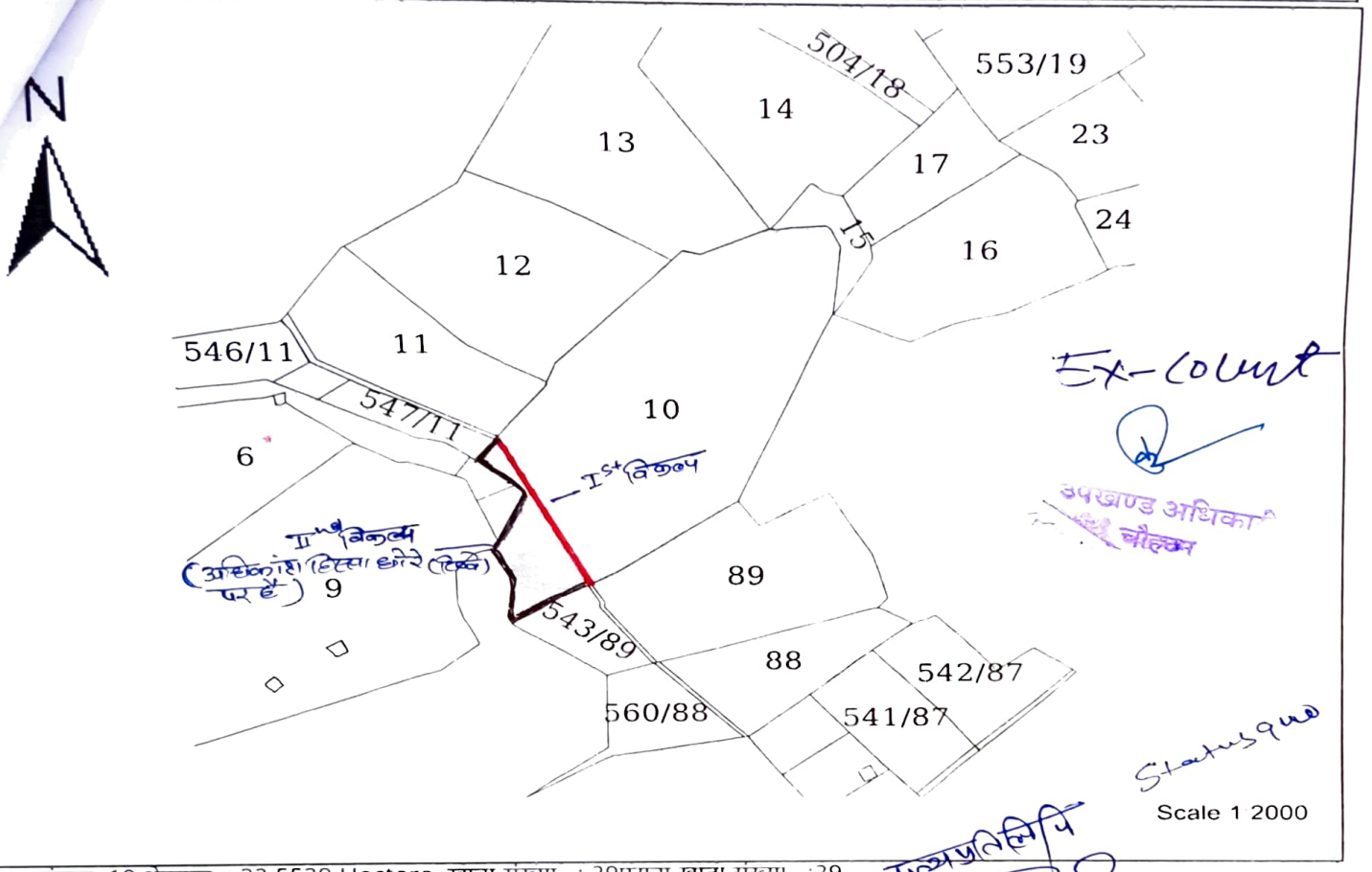

खसरा संख्या :10 क्षेत्रफल : 32.5529 Hectare खाता संख्या : 29पुराना खाता संख्या :29

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [32.5529, 6.19]

1.) मोहमदमन्जूर पुत्र आमद ऊर्फ अहमद हिस्सा- पूर्ण जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार

सत्यप्रतिलिपि

02/05/2025

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय मे सपर्क करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested